

2024

20

109

राजस्थान सरकार
डॉ. भीमराव अम्बेडकर फाउण्डेशन (अम्बेडकर पीठ),
(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

संविधान दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय निबंध लेखन प्रतियोगिता-2024

विषय :- "भारत के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में डॉ. भीमराव अम्बेडकर का योगदान"

दिनांक :- 07.10.2025 (समय- 2 घंटा, पूर्णांक- 100 अंक)

स्तर :- विश्वविद्यालय / महाविद्यालय

कार्यालय उपयोग हेतु	मूल्यांकन हेतु
---------------------	----------------

विद्यार्थी का नाम - कोमल आबासरा KOMAL ABASARA
 पिता का नाम - शागीरथ आबासरा BHAGIRATH ABASARA
 पता पिन कोड सहित - Vill- सरमालिया Dist- व्यावर राजस्थान (Pin code - 305901)
 कक्षा (BEFORE) B.Sc. (Maths) - III year Samrat Bihvi Raj Chouhan
 महाविद्यालय का नाम - S.D. Govt. College BEAWAR Now - Govt. College AJMER (M.Sc. Physics I)
 जिले का नाम - BEAWAR
 मोबाईल न. - 6375807662
 ई-मेल आई.डी. - komalabasara06062006@gmail.com

विद्यार्थी के हस्ताक्षर

Komal

वीक्षक के हस्ताक्षर

Raj

भारत के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में डॉ. भीमराव अम्बेडकर का योगदान

92

109 102

निबंध की रूपरेखा :-

1. प्रस्तावना

2. डॉ. अम्बेडकर : जीवन दर्शन एवं दृष्टि
↳ संघर्ष की भट्टी से विकलासंविधान निर्माता

3. भारत के सामाजिक विकास में बाबा साहब का योगदान
"टूटा हुआ समाज" एवं "जुड़ा हुआ संविधान"

- ↳ अस्पृश्यता का संवैधानिक उन्मूलन (मनु. 17)
- ↳ शैक्षिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक अधिकार
- ↳ पूना पैक्ट
- ↳ समान नागरिक संहिता (UCC)
- ↳ हिन्दू कोड बिल (HPL)

4. भारत के आर्थिक विकास में बाबा साहब का योगदान
: अर्थशास्त्री की दूरदर्शिता

- ↳ कृषि एवं भूमि सुधार
- ↳ औद्योगिकीकरण एवं मेक इन इंडिया

प.०

- मजदूरों के अधिकार - 8 घंटे की कार्य सीमा
- जल एवं ऊर्जा संरक्षण
- RBI की स्थापना एवं मौद्रिक नीति

5) वर्तमान संदर्भ : विरासत बनाम वास्तविकता

6) निष्कर्ष : श्रमिष्य की राह एवं संकल्प

1) प्रस्तावना क्या यह विडम्बना नहीं की स्वतंत्रता के 75 वर्षों बाद भी भारत जातीय हिंसा, सामाजिक असमानता, बेरोजगारी एवं गंदगी जैसी समस्याओं से जूझ रहा है? "डिजिटल इंडिया" और "विकसित भारत 2047" का सपना हम देखते हैं किन्तु क्या हम उस भारत को गढ़ पाए हैं जिसका सपना डॉ. अम्बेडकर ने देखा था? जब दलितों पर अत्याचारों की खबरे अखबारों में छपती हैं, शिक्षा एवं स्वास्थ्य आम आदमी के लिए अब भी विलासिता बने हुए हैं आरक्षण पर उग्र बहस होती है तब लगता है कि हम अम्बेडकर जी के वक्ताएँ मार्ग से शटक गए हैं।

बाबा साहब केवल संविधान निर्माता नहीं थे बल्कि भारत के सामाजिक न्याय के शिल्पी एवं आर्थिक विकास के दूरदर्शी विचारक थे।

उन्होंने समाज को एक नए मोड़ पर ले आया

उन्होंने उस दौर में समता, न्याय और शिक्षा की मसाले जलाई, जब समाज गहरी विषमता एवं भेदभाव से जकड़ा हुआ था। उनकी दृष्टि केवल संविधान निर्माण तक सीमित नहीं थी बल्कि ऐसे भारत की थी जिसमें अवसरों की समता हो, स्त्री-पुरुष के बीच कोई भेदभाव ना हो, दलित-गरीब को सम्मान से जीने का हक प्राप्त हो। उन्होंने RBI की स्थापना एवं भूमि सुधार में अपना अभिन्न योगदान दिया है दलितों को समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु आर्थिक आजीवन प्रवास किए तथा मुद्रक का आर्डिन अधिनियम संविधान दिया जो आज के सभी प्रश्नों का एकमात्र उत्तर प्रदाता बना है।

यदि भारत को सचमुच में विश्वगुरु बनाना है तो आर्थिक विकास की गगनचुंबी इमारतें काफी नहीं होंगी बल्कि इसकी नींव में अम्बेडकर के सामाजिक न्याय एवं आर्थिक विकास के विचारों का गारा भी उतना ही जरूरी है।

“यह अरण्य सुरमुट, जो कहीं अपनी राह बनाले,
क्रीत दास नहीं वह किसी का, जो चाहे अपना ले।
जीवन नहीं उसका युधिष्ठिर, जो इससे उरते हैं,
उसका है जो चरण रोप, निर्भय होकर बढ़ते हैं।”

2.

डॉ. अम्बेडकर : जीवन दर्शन एवं दृष्टि संघर्ष की भट्टी से निकला संविधान निर्माता

डॉ. अम्बेडकर का जीवन किसी तपस्या से कम नहीं था।
मद्रास से लेकर न्यूयॉर्क (Columbia University) एवं London School
of Economics तक की शैक्षणिक यात्रा उस समय के जातिगत आडम्बरो
के विरुद्ध ब्रह्मजीवी विद्रोह था। गरीबी, भेदभाव एवं जातिगत अपमान
से जुझते हुए बाबा साहेब ने शिक्षा को हथियार बनाया और कहा
"शिक्षा वह शक्ति है, जिससे मनुष्य अपने अधिकारों के लिए लड़ना सीखता है"
उनका मूल मंत्र था - Educate, Agitate & Organise बाबा साहेब
का दृष्टिकोण दो स्तरों पर स्पष्ट था -

1. सामाजिक न्याय - "सामाजिक समता के बिना स्वतन्त्रता अधूरी है।"
2. आर्थिक विकास - "आर्थिक विकास के बिना लोकतन्त्र खोखला है।"

बाबा साहेब का जीवन दर्शन शिक्षा, समानता, स्वतन्त्रता
एवं बहुत्व पर आधारित था। उनका मानना था कि सामाजिक न्याय
एवं आर्थिक स्वतन्त्रता के बिना राजनीतिक स्वतन्त्रता का कोई
अर्थ नहीं है।

“ सभी तलाशते हैं रास्ता, अपने-² ढंग से,
 मिट्टी तले के चुम्बा,
 समुद्र में कोलम्बस,
 जिन्दी शब्दों के घेरे में कवि,
 गहन होर अंधकार में एकाकी नखत,
 बोधिवृक्ष तले बूढ़ देव। ”

बाबा साहेब जाति व्यवस्था के पुरजोर विरोधी थे। उनका मानना था कि यह व्यवस्था मनु के बंध ही अस्तित्व में आई है, अतः उन्होंने 25 Dec 1945 को मनुस्मृति को जलाकर एक हिन्दु धर्म में व्यापना खटिवादी विचारों का विरोध किया एवं एक ऐसे भारत का संकल्प लिया, जिसमें कोई किसी से छोय बड़ा ना हो।

3

भारत के सामाजिक विकास में डॉ. अम्बेडकर का योगदान
 “ दया हुआ समाज ” एवं “ जुड़ा हुआ संविधान ”

बाबा साहेब अम्बेडकर का योगदान इतिहास की ^{कृत} कर्म घटना नहीं है बल्कि वर्तमान की कसौटी एवं भविष्य की रणनीति है।
 उन्होंने संविधान को “ हम भारत के लोग ” शब्दों से शुरू करके सम्पूर्ण अर्थ स्पष्ट कर दिया। उन्होंने शिष्टा को समानता का दाँधिया, धर्म को स्वतन्त्रता का आधार एवं संस्कृति को विविधता की पहचान बताया।

P.T.O.

① अस्पृश्यता का संवैधानिक उन्मूलन (A.R. 17) - भारत के सामाजिक लोकोपकार में अस्पृश्यता बह जग थी

जिसे बाबा साहब ने सबसे पहले दूर किया।

अन्त्यज्य संध (1920), बहिष्कृत दित्कारिणी सभा (July 1920) बम्बई अस्पृश्यता परिषद् (1925) जैसे संगठनों की स्थापना की जिन्का उद्देश्यों दलितों के लिए छात्रावास, पुस्तकालय एवं अध्ययन सुविधा मुहैया कराना था। इन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उन्होंने बहिष्कृत भारत नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया जो दलितों को जागरूक करने का पुनर्निर्माण करता रहा। बाबा साहब ने कई आन्दोलनों एवं सत्याग्रहों को स्वयं नेतृत्व किया एवं दलितों के मुक्तिदाता कहलाए।

1927 का महाद सत्याग्रह - घानी के प्रयोग को दलितों के लिए भी सुनिश्चित किया गया।

1930 का कालाराम मंदिर आंदोलन : दलितों को मंदिर प्रवेश की अनुमति प्राप्त हुआ।

1932 में कोयला खदानों में कार्य करने वाली महिला श्रमिकों को भी पुरुषों के समान वेतन प्राप्त हुआ।

② शैक्षिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक अधिकार - बाबा साहब ने समाज को संगठित करने के लिए

शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बनाया एवं 14 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया।

धार्मिक स्वतन्त्रता के लिए Art. 25-28 के तहत सुनिश्चित किया गया कि कोई राज्य किसी भी धर्म विशेष का पक्षधर नहीं बनेगा किन्तु इसके नागरिक अपनी स्वेच्छानुसार किसी भी धर्म को मानने वाले हो सकते हैं।

सांस्कृतिक विविधता के लिए Art. 29-30 के तहत प्रावधान किया गया कि कोई व्यक्ति या समुदाय अपनी भाषा, पहनावे एवं संस्कृति का प्रचार-प्रसार कर सकता है एवं धार्मिक संस्थान खोल सकता है।

③ पूना प्रैक्टिस - 24 सेप्टेम्बर 1932 को गांधीजी एवं डॉ. अम्बेडकर के बीच पूणे की युखदा जेल में समझौता किया गया जिसके तहत ब्रिटिश प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड द्वारा प्रस्तावित 'पृथक् निर्वाचन प्रणाली' के स्थान पर संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को अपनाया गया एवं दलित वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था को अपनाया गया। इसके तहत राष्ट्रीय विधानमंडल में दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई थी तथा राष्ट्रीय विधानमंडल में 18% सीटें दलित वर्ग के लिए आरक्षित की गईं।

4) समान नागरिक संहिता Uniform Civil Code [UCC]

UCC लम्बे समय से भारत में मुद्दा बना हुआ है। यह "एक राष्ट्र - एक कानून" के मत का समर्थक है। यह भारत में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, दत्तक ग्रहण एवं उत्तराधिकार जैसे निजी मामलों को नियन्त्रित करने वाला व्यक्तिगत कानून है।
(Personal Law)

इसके पक्ष में लैंगिक समानता, राष्ट्रीय एकता एवं धर्मनिरपेक्षता की मजबूती से जुड़े विषय शामिल हैं, जबकि इसके विपक्ष में विविधता पर संकट, धार्मिक स्वतन्त्रता को हानि एवं राजनीति से जुड़े मुद्दे शामिल हैं।

बाबा साहब ने UCC की वैकल्पिक प्रकृति को महत्व दिया एवं भारतीय संविधान में इसे अनु. 44 के तहत DPSP (नीति निर्देशक तत्व) के रूप में शामिल किया गया।

5) हिन्दू कोड बिल Hindu Personal Law

बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा तैयार यह बिल न केवल दलित वर्ग के लिए बल्कि सभी वर्गों के उत्थान के लिए आज तक अत्यन्त प्रभावी रहा है। यह महिला सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। इसे लागू करवाने हेतु बाबा साहब ने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा तक दे दिया परन्तु यह

सभा में पास न हो सका) बाबासाहेब ने इसके उपभाग बनाकर
इस संसद द्वारा पास करवाया, जिनमें निम्न प्रावधान शामिल
हैं -

↳ Hindu Marriage Act. [1955] [HMA]

- | विवाह की न्यूनतम आयु (M-21; F-18)
- | बहुविवाह (Polygamy) पर रोक।
- | एक पति-एक पत्नी (Monogamy) की व्यवस्था।
- | अन्तरजातीय एवं अन्तरवर्णीय विवाह को मान्यता।
- | मलाक एवं न्यायिक अलगाव की व्यवस्था।
(Divorce) (Judicial Separation)

↳ Hindu Succession Act [1955] [HSA]

- | महिलाओं का भी पति की सम्पत्ति में समान अधिकार।
- | पुत्र एवं पुत्रियों का पतृक सम्पत्ति में अधिकार।

↳ Hindu Minority & Guardianship Act [HMGA]

- | अनाथ बच्चों की देखरेख एवं उनकी सम्पत्ति से जुड़े नियम
- | माता एवं पिता को दोनों का आधिभावक माना गया किन्तु
पिता को प्राथमिक आधिभावक का दर्जा दिया गया।

↳ Hindu Adoption & Maintenance Act [HAMA]-1956

[पुत्र एवं पुत्रियों दोनों का गोद लेने का अधिकार
[विधवा स्त्रीयों को भी गोद लेने का अधिकार

इसके अतिरिक्त "दलित वर्गीय महिला सम्मेलन" (1942):
50,000 महिलाओं के जत्थे को बाबा साहब ने संबोधित किया एवं
उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया एवं कहा - "मैं किसी समाज
की प्रगति का आकलन उसमें महिलाओं की स्थिति से करता हूँ।"

इसी क्रम में सेपरेट सेटलमेंट द्वारा बाबा साहब ने एक
एक जाति (अछूत) की दूसरी जाति (सर्व समाज) पर निर्भरता का अंत
किया एवं समता, स्वतंत्रता एवं न्याय युक्त भारत की नींव रखी

६। मैंने तो उपहार दिए हैं; मौलिक दिए अधिकार दिए हैं,
धर्म-कर्म-संस्कार दिए हैं, जीने के अधिकार दिए हैं,
मैंने वादे समता के हैं, दीन-दुखी और ममता के हैं।"

4.

भारत के आर्थिक विकास में डॉ. B.R. अम्बेडकर का योगदान अर्थशास्त्री की दूरदर्शिता

भारत के आर्थिक इतिहास में जब भी दूरदृष्टी विचारकों की बात होती है तो अम्बेडकर जी का नाम स्वर्णश्रृंखला में लिखा जाता है। वे आधुनिक भारत के विजयनी अर्थशास्त्री थे। उन्होंने आर्थिक समग्र एवं स्वतन्त्रता युक्त विकसित भारत की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिए -

① भूमि एवं कृषि सुधार :- भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हमेशा से कृषि रही है। बाबा साहब ने देखा कि जमींदारी व्यवस्था ने किसानों को गुलाम बना रखा है अतः बाबा साहब ने इसका जमकूर विरोध किया एवं भूमि के न्यायपूर्ण वितरण एवं सामुहिक कृषि की वकालत की। उनका मानना था कि किसानों की मुस्कान में ही भारत की समृद्धि निहित है।

② औद्योगिकीकरण एवं मेक इन इंडिया :- किसानों ने कृषि को ईश्वर प्रदत्त निष्पत्ती माना किन्तु बाबा साहब ने इसपर तर्ज कसा और कहा - "ईश्वर ने किसानों को हतल दिए किन्तु मशीनें क्यों नहीं दीं। जब तक कारखाने नहीं लगेंगे पेट आधा भरा ही रहेगा।"

[P.T. 01]

कृषि पर आधारित व्यवस्था लम्बे समय तक स्थिर नहीं रह सकती अतः उन्होंने तीव्र औद्योगिकीकरण पर बल एवं योजनाबद्ध विकास पर महत्व दिया। उन्हीं के प्रयासों के कारण आज "मेक इन इंडिया" का नारा दिया जाता है जो उनकी दूरगामी सोच का परिचायक है। (भारत में वनमो)

③ मजदूरों के अधिकार - बाबा साहब ने मजदूरों को शोषणमुक्त करने, सम्मानजनक जीवन देने हेतु कई अधिकार दिए एवं निम्न प्रावधान किए -

1) मजदूरों के कार्य करने की समयसीमा तय करवाई।

"8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे परिवार के नाम।"

2) मजदूरों के लिए भविष्य निधि एवं मजदूर बीमा जैसी योजनाओं की नींव रखी।

3) श्रमिकों के वेतन, भत्ते, अवकाश, मातृत्व लाभ, चिकित्सा सुविधाएँ सुनिश्चित की।

4) महिला श्रमिकों को भी पुरुषों के समान अधिकार दिए।

बाबा साहब ने ये प्रावधान भारतीय संविधान में मूल अधिकार एवं DPSP (नीति निर्देशक तत्वों) के तहत जोड़े।

इन्हीं महत्वपूर्ण प्रावधानों का जोड़ने के कारण आज भारत का ग्राम कानून व विश्व के सबसे सशक्त ढांचों में गिना जाता है।

- ④ जल एवं ऊर्जा संरक्षण :- बाबा साहब ने जल को प्राकृतिक साधन नहीं माना बल्कि राष्ट्रीय सम्पत्ति का दर्जा दिया। उनके नेतृत्व में 1945 में Central Waterways, Irrigation & Navigation Commission का गठन हुआ। उन्होंने दामोदर घाटी, हीराकुण्ड एवं सोन नदी जैसी बहुउद्देशीय बहुउद्देशीय योजनाओं की रूपरेखा तैयार की एवं इनसे सिंचाई एवं विद्युत उत्पादन की कल्पना की ताकि कृषि एवं उद्योग दोनों क्षेत्रों को लाभ हो सके। उन्होंने इसी कारण उन्हें "भारत का प्रथम जल नीति निर्माता एवं ऊर्जा योजनाकार" कहा गया।

- ⑤ RBI एवं मौद्रिक नीति :- डॉ. अम्बेडकर ने अपने पुस्तक

The Problem of Rupee: Its origin & Solution

में भारत की मुद्रा व्यवस्था की कमीयों एवं समाधानों की चर्चा की। इन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर 1935 में RBI (भारतीय रिजर्व बैंक) की स्थापना हुआ जो भारत के वित्तीय तंत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने मुद्रा के स्थिरीकरण एवं मौद्रिक ढांचों में सुधार की बात की।

5

वर्तमान संपर्क: विरासत बनाम वास्तविकता

आज किसान सुखे एवं बाढ़ दोनों समस्याओं से जूझ रहे हैं, टैंकरो की बोली लग रही है, तब लंबाता है कि हम अभी भी 19वीं सदी में अटके हुए हैं।

अम्बेडकर के सपने का भारत अभी दूर है क्योंकि भारत में अनेको समस्याएं अभी भी व्याप्त हैं, जिनके निदान का स्वप्न अम्बेडकर ने देखा था। जैसे -

- मंहगाई - ऊर्जा, व्याज की बढ़ती दरें, पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि जैसी अनेको कारक भारत को मंहगाई की ओर धकेले रहे हैं। बाबा साहब ने रुपये को स्थिर करने की बात कही थी, किन्तु ऐसा लगता है कि रुपया रोज डॉलर के पीछे भागते चले गया है। मंहगाई के दिन प्रतिदिन बढ़ने की स्थिति आभास कराती है कि -

“कुछ दिनों बाद फौन कॉल लगाते ही आवाज आएगी,

मंहगाई एक बीमारी है, इससे बचे,

कम खाए, फटे पुराने कपड़े पहने

जितना हो सके पैदल चले, पेट्रोल वाली गाड़ियों का प्रयोग ना करें,

गैस सिलेण्डर को ताँ भूल ही जाए, चूल्हे का प्रयोग करें।

थाक रहे हमें मंहगाई से लड़ना है, हुकुमत से नहीं।

अतः अपने घरों में चुपचाप बैठे रहे, धरना प्रदर्शन बिल्कुल ना करें।”

उपरोक्त पंक्तियाँ केवल व्यंग्य मात्र न होकर भविष्य के भारत की चेतावनी हैं, अतः हमें अम्बेडकर की मौखिक नियन्त्रण के उपायों को अपनाना होगा।

➤ भ्रष्टाचार - बड़ी मंद्गाई के कारण आज भ्रष्टाचार अपनी जड़े फैलाता जा रहा है एवं कालबाजारी तथा जमाखोरी को जन्म दे रहा है। आज भारत का प्रत्येक नागरिक किसी न किसी प्रकार भ्रष्टाचार की चपेट में आ रहा है, क्योंकि

"एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है,

एक तीसरा आदमी भी है,

जो न रोटी बेलता है, न रोटी खाता है,

वह सिर्फ रोटी से खेलता है।

मैं पूछती हूँ वह तीसरा आदमी कौन है?"

मेरे देश की संसद मौन है।"

➤ भारत की रस्सी पर लटकता विकास : बाबा साहब ने भारत, गरिब एवं दलित वर्गों के समाज की मुख्य धारों को लाने एवं उनकी आर्थिक उन्नति स्थापित करने के उद्देश्य से प्रावधानों में जोड़ा था किन्तु वर्तमान में व्यक्तिगत हितों की पूर्ति हेतु नेता, डॉक्टर, अधिकारी इत्यादि बनने हेतु एवं आर्थिक धन की लालसा में आमजन भारत की व्यवस्था का गलत प्रयोग कर रहा।

यह व्यक्ति अपने लाभ हेतु आरक्षण को रक्षी की भाँति प्रयोग करके उच्च पदों पर आसीन हो रहा है तथा श्रष्ट तंत्र का निर्माण कर रहा है जो देश के विकास में बाधक है।

▶ "एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य" को चुनौती :- आज धनबल, बाहुबल, जातिबल के धर्मों के कारण भारत का लोकतंत्र खतरे में है। जब सभी व्यक्तियों के मतों की आवाज को समान ही गिना जाए तो लोकतान्त्रिक व्यवस्था पतन की ओर जाती है।

आज हमें अपने वोट के मूल्य को समझना होगा और योग्य व्यक्ति को तंत्र का हिस्सा बनाना होगा ताकि भविष्य में भारत विकास और उन्नति के मार्ग पर चल सके।

6. निरिक्ष :- भविष्य की राह एवं संकल्प

जिस तरह मानव ने आदिम सभ्यता से वर्तमान तकनीकी युग तक का सफ़र अपनी जीजीविषा से तय किया है उसी तरह यह बात अंगूठ के पाँव की तरह अहल है कि इन समस्याओं का समाधान भी जल्द ही पा लिया जाएगा, किन्तु हमें अपने भारिखत प्रयासों से

इस समय सीमा को कम करना होगा और वह सत्य होगा कि लोहे के पैर हरे होंगे।

समाधान स्पष्ट है, हमें अम्बेडकर के बताए मार्ग पर चलना है, सामाजिक न्याय को सख्ती से लागू करना होगा, आर्थिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण करना होगा, गरीब-कलित का विकास की मुख्य धारा में लाना होगा, मुद्रा पर नियंत्रण पाना होगा। तथा साथ ही महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आरक्षण के सही उपयोग जैसे मुद्दों को शंभीरता से लेना होगा तभी समता,

स्वतन्त्रता एवं बंधुत्व का सपना सच हो पाएगा। अम्बेडकर जी का मानना था कि "कोई संविधान कितना भी बुरा हो वह अच्छा साबित हो सकता है यदि उसका प्रयोग करने वाले लोग अच्छे हों, तथा वह कोई संविधान कितना भी अच्छा हो बुरा साबित हो सकता है, अगर इसका उपयोग करने वाले लोग बुरे हों।" अतः हमें अच्छे लोग बनकर लोकतांत्रिक मूल्यों को अपनाना होगा एवं विकसित भारत के स्वप्न का साकार करना होगा।

आज हमें अम्बेडकर के विचारों को नारों एवं स्मारकों तक सीमित नहीं करना चाहिए एवं संविधान को पूजने या इसके प्रावधानों को दीवार पर टांगने की बजाए इसे पढ़ने एवं अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है।

P.T.O.

“ अपने घर लफ्ज का खुद भाईना हो जाऊंगा,
तुझे छोटा कहकर, मैं कसब बड़ा हो जाऊंगा।
तुम मुझे गिराने में लगे हो, तुमने सोचा ही नहीं,
गर मैं गिरा तो मुझु बनकर खड़ा हो जाऊंगा।
चलने को मुझे, बाकि है मेरा सफर,
गर मुझे रोका गया तो काफी लंबा हो जाऊंगा। ”

जय भारत, जय भीम, जय संविधान

राजस्थान सरकार

डॉ. भीमराव अम्बेडकर फाउण्डेशन (अम्बेडकर पीठ),
(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

2

102

संविधान दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय निबंध लेखन प्रतियोगिता-2024

विषय :- "भारत के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में डॉ. भीमराव अम्बेडकर का योगदान"

दिनांक :- 07.10.2025 (समय- 2 घंटा, पूर्णांक- 100 अंक)

स्तर :- विश्वविद्यालय/महाविद्यालय

कार्यालय उपयोग हेतु	मूल्यांकन हेतु

विद्यार्थी का नाम - प्रियापारीक
पिता का नाम - श्री अन्नराज पारीक
पता पिन कोड सहित - सरवाड (305403) जिला-अजमेर राज.
कक्षा - BA-BED 4th PART
महाविद्यालय का नाम - श्री मिश्रीलाल दुबे महिला शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय केकड़ी (अजमेर)
जिले का नाम - अजमेर
मोबाईल न. - 6376896508, 6376919831
ई-मेल आई.डी. - Priya.pareek2004@gmail.com

विद्यार्थी के हस्ताक्षर

प्रियापारीक

वीक्षक के हस्ताक्षर

Priya

निबन्ध लेखन:-

91

102

सामाजिक व आर्थिक विकास में बाबा साहेब का योगदान

रूपरेखा :-

प्रस्तावना

सामाजिक विकास में बाबा साहेब का योगदान

आर्थिक विकास में बाबा साहेब का योगदान

सामाजिक व आर्थिक विकास के उद्देश्य

मुख्य क्षेत्र

प्रमुख कृतियाँ


प्रासंगिकता

पुरस्कार व सम्मान

उपसंहार

श्लोक, अन्तिम वचन

विशेष कथन



"Be educated
be organised
and
be Agitated"

- BR Ambedkar

①

प्रस्तावना :-

बाबा साहेब स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माता "डॉ. भीमराव अम्बेडकर" बहुभाषा भी उतिमा के धनी थे वे उत्कृष्ट बुद्धिजीवी सफल राजनीतिज्ञ अर्थशास्त्री व समाजशास्त्री थे व जनप्रिय नायक थे।

डॉ. अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ई. केन्दूर के समीप मडू छावनी के मदार जाति दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम "रामजी सनपा" व माता का नाम "भीमाबाई" था।

भारत रत्न डॉ. अम्बेडकर सामाजिक आर्थिक आन्दोलन के जैसे पुरोधा रहे थे जिन्होंने न केवल जीवन भर समाज की बेहतरी के लिए कार्य किया।

डॉ. अम्बेडकर का सम्पूर्ण जीवन दमन शोषण अन्धकार के विरुद्ध अनवरत क्रान्ति की शौर्य गाथा है। समता, बंधुता व्यापक आधारित उनके स्वप्न का समाज "सबका साथ-सबका विकास" की अवधारणा की स्वीकार करने प्राप्त किया जा सकता है।

* 2

* 2

सामाजिक विकास में बाबा साहेब का योगदान :-

महानायक डॉ. अम्बेडकर जी सामाजिक बौद्धिक सामाजिक क्रान्तिकारी व एक विशाल क्षमता सम्पन्न विचारक हैं।

बाबा साहेब ने सामाजिक आर्थिक स्थितियों का विश्लेषण किया तथा शोषित, प्रमिता, महिलाओं के मुक्तिदाता बने।
"समन्वय तथा सामरिक समरसता" पर आधारित उनके विचार राष्ट्रीय प्रयास को प्रेरित करते हैं।

"दलितों के मसिदा" कहे जाने वाले "डॉ. भीमराव अम्बेडकर के सम्पूर्ण जीवन का सर्वप्रमुख एक मात्र लक्ष्य था :- "दलितों का उद्धार"

सामाजिक विकास के योगदान के बिन्दु निम्न लिखित हैं।

(i) अस्पृश्यता के विरुद्ध संघर्ष :-

बाबा साहेब ने मानव-मानव के मध्य असमानता, छुआछुत, अच्यनीच को मिटाने में अपना विशेष योगदान दिया

“ धर्म मनुष्य के लिए बनाएँ
ना कि मनुष्य धर्म के लिए ”

अस्पृश्यता के विरुद्ध बाबा साहेब का प्रथम संगठित प्रयास
20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारीणी "सभा" की स्थापना
करना था।

"बहिष्कृत हितकारीणी सभा" का उद्देश्य शिक्षा व समानता का
प्रसार करके बहिष्कृतों का उद्धार करना था।

बाबा साहेब ने सन् 1930 में अस्पृश्य समाज संस्था व
आखिल भारतीय दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी

बाबा साहेब के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप स्वस्थ संवि. के
अनु. 17 में अस्पृश्यता को गैर कानूनी घोषित किया
गया है।

(ii) शिक्षा की चेतना :- बाबा साहेब शिवा की "मुक्ति का साधन" व समाज में जागृति उत्पन्न करने वाला मानते थे।

* बाबा साहेब ने ज्ञान के प्रसार के लिए "अस्पृश्य समाज शिक्षण संस्था" महाराष्ट्र में "मिलिन्द महाविद्यालय" तथा "जनता शिक्षा समाज संस्था" की स्थापना की थी।

* "बाह्यकृत दित्तकारी सभा" के द्वारा कई छात्रावास पुस्तकालय व छात्रवृत्तियों का आरम्भ ज्ञान वृद्धि हेतु किया गया।

* 7 नवम्बर 1900 को बाबा साहेब के रक्षित जीवन की शुरुआत हुई थी।

विशेष :- 7 नवम्बर को महाराष्ट्र में विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाते हैं।

(iii)

आरक्षण नीति का पुनर्बन्धन :-

बाबा साहेब ने वंचित वर्ग को अवसर प्रदान के उद्देश्य से आरक्षण नीतियों का प्रारम्भ किया था।

* बाबा साहेब ने वंचितों में आरक्षण को "बैसाखी" नदी वाली विरुद्ध व सशस्त्र होने का "अधिकार" बताया ताकि वे स्वयं के पैसे पर खड़े हो सकें।

* बाबा साहेब के अथक प्रयासों के परिणामस्वरूप संवि. के अनु. 334 में आरक्षण नीतियों का प्रावधान है।

(iv)

स्त्रियों का सशक्तिकरण :-

* बाबा साहेब ने "अखिल भारतीय शोषित वर्ग संघ" सम्मेलन का आयोजन महिलाओं की जागृति के लिए किया था।

* "मुक्त नायक" व "बहिष्कृत भारत" जैसे कृतियों से महिला-

कल्याण के लिए जागृति फैलाई व आवाज उठाई थी।

4 में किसी सभापति की उम्मीद की

महिलाओं की उम्मीद से

मापता है (.)

(V)

हिन्दू कोड बिल व साहित्य लेखन

*

बाबा साहेब ने महिलाओं को विवाह तलाक उत्तराधिकारी के मामलों में सम्मान व अधिकार देने के लिए "हिन्दू कोड बिल" पेश किया था।

*

"जाति उन्मूलन" व "शुद्ध मन" जैसे साहित्य लेखन के द्वारा सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था।

335

शिक्षक के

(VI)

मानव अधिकार व सम्मान :-

बाबा साहेब ने कहा कि जब तक दलित वर्ग के लिए "मौलिक अधिकार" सुरक्षित नहीं होंगे तब तक "स्वराज" की कल्पना अधुरी ही है। *

* बाबा साहेब ने महाड के "चौदार तालाब सत्याग्रह" में "सार्वजनिक जल स्रोत" तक पहुँचने का अधिकार प्राप्त किया था। (3)

* 25 दिसम्बर 1927 को बाबा साहेब द्वारा "मनुस्मृति की प्रतियाँ" जलाई गई थीं यह पुरोहित वर्ग व जातिवाद के विरोध में था।

विशेष :-

अम्बेडकरवादी 85 दिस. को "मनुस्मृति दहन" दिवस मनाते हैं।

* 1935 में कालाराम भण्डार में दलितों के प्रवेश हेतु आन्दोलन किया था।

*

बाबा साहेब द्वारा संविधान में "आमाजिक न्याय" का प्रवधान शामिल करवाना प्रमुख है।

③

आर्थिक विकास में बाबा साहेब का योगदान :-

बाबा साहेब के आर्थिक विचार भारतीय अर्थव्यवस्था के मार्गदर्शक हैं साथ ही आर्थिक स्वतंत्रता व स्थिरता की दिशा में भी आगे बढ़ने का प्रयास किया है।

बाबा साहेब के आर्थिक सुझावों के आधार पर कई आर्थिक सुधार किए गए हैं जिनमें भूमि सुधार, जल परियोजना प्रमुख हैं।

अर्थशास्त्र बाबा साहेब का प्रिय विषय था।

P.T.O.

विशेष

The problem of rupee : its origin and its solution.

यूह बाबा साहेब की भारतीय आर्थिक इतिहास पर लिखित किताब
इसमें "मुद्रा सिफोरी" व "मुद्रा सुधार" के मुद्दों पर बाबा साहेब की
गहन अन्तर्दृष्टि को दर्शाया गया है।

(i) भारतीय रिजर्व बैंक का सुझाव :-

* बाबा साहेब ने इसे बैंक की कल्पना की थी जो देश में
मुद्रा, सरकारी वित्त, व बैंकों का संघोवन कर सके।

* The problem of rupee में बाबा साहेब ने "भारतीय रिजर्व बैंक"
की रूपरेखा प्रस्तुत की थी।

* 11 अप्रैल 1935 को RBI की स्थापना की गई थी।

॥ अपने कर्म में विश्वास करो
भाग्य में नहीं ॥

(ii)

औद्योगिकरण द्वारा आर्थिक विकास :-

* बाबा साहेब ने कृषि भूमि के राष्ट्रीयकरण का सुझाव व औद्योगिकरण की आवश्यकता पर बल दिया था।

* बाबा साहेब ने कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था की समस्याओं के निराकरण व समग्र आर्थिक विकास के लिए तीव्र औद्योगिकरण की वकालत की थी।

* सन 1926 में "ट्रेड युनियन" की मान्यता के लिए "भारतीय व्यापार संघ" विद्यमान बाबा साहेब द्वारा लाया गया था।

समग्र विकास द्वारा आर्थिक प्रगति :-

IV *

* बाबा साहेब ने "समावेशी" व "न्यायसंगत" अर्थव्यवस्था की कल्पना की थी जहाँ सभी को समान अवसर प्राप्त हो।

* बाबा साहेब का मानना था कि आर्थिक विकास तभी सम्भव "साथी" ही जब सब को लाभान्वित करे।

(V)

स्वरोजगार व भूमिसुधार :-

* बाबा साहेब ने स्वरोजगार के संदर्भ में "मजबूर" होने के बजाय "मजबूत" बनने की बात कही थी।

* मध्यम व लघु उद्योगों को बढ़ावा देकर स्वरोजगार के अवसर की बात कही थी।

* श्रमिणों का "सांगठिकरण" व "राष्ट्रीयकरण" करने की वकालत बाबा साहेब द्वारा की गई।

* भूमिहीन किसानों को "श्रम योग्य भूमि" वितरण की वकालत बाबा ने की थी।

VI

ग्राम सुधार द्वारा आर्थिक विकास :-

* बाबा साहेबनेसन 1942 से 1946 तक श्रम मंत्रि के रूप में कार्यरत रहते थे इस अवधि में ग्राम सुधार को गति मिली थी।

* बाबा साहेब ने सन 1936 में "स्वतंत्र लैबर पार्टी" की स्थापना की थी।

* बाबा साहेब ने "राष्ट्र दू स्ट्राइक" व मजदूर सत्याग्रह का समर्थन प्रथम कल्याण द्यु किया था।

VIII जल परियोजना का विकास

* बाबा साहेब ने "जल संसाधन के प्रबंधन" के लिए "बहुदृशीय क्रांतिकारी" योजनाएं चलाई थीं।

* सोमनदी, दामोदर नदी, महानदी को बाबा साहेब ने नदी घाटी परियोजनाओं में शामिल कराया था।

* बाबा साहेब का मानना था कि नदी घाटी परियोजनाएँ बेहतर सिंचारी उपलब्ध कराएंगी, इससे कृषि उत्पादन स्थिर होगा व आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।

विशेष

"नोबल पुरस्कार" से सम्मानित "अमर्त्य सेन" ने
अम्बेडकर जी को "Father of my economy" कहकर
सम्मान दिया था।

4.
~~3~~

सामाजिक व आर्थिक विकास के बाबा साहेब के उद्देश्य :-

(1) सामाजिक उद्देश्य

* व्याय व सम्मान :- बाबा साहेब एक व्यक्ति एक वोट, एक मुल्य
की अवधारणा को मानते थे तथा
समता, बन्द्युता व व्याय पर आधारित समाज
का लक्ष्य रखा।

* महिला व ग्रामिक
सशक्तिकरण

शिक्षा व सशक्तिकरण द्वारा महिलाओं व
ग्रामिकों को अशक्त करने का लक्ष्य रखा था।

* वर्गहीन समाज - बाबा साहेब ने इसे समाज की कल्पना की
जहाँ योग्यता "जन्म" से नहीं "कर्म" से निर्धारित हो

(ii) आर्थिक उद्देश्य -

* बुनियादी उद्योगों का औद्योगिकरण - बाबा साहेब ने बुनियादी व मूलभूत
उद्योगों के औद्योगिकरण का लक्ष्य रखा

* राष्ट्र नियंत्रित अर्थव्यवस्था - बाबा साहेब का मानना था कि किसी
वर्ग विशेष को लाभ ना हो कर राज्यनियंत्रित
अर्थव्यवस्था में सभी को लाभ मिले।

* शामिल व कृषि कल्याण - व्यवसायिक शिक्षा के द्वारा शामिल व
कृषि श्रमिकों के कल्याण का उद्देश्य रखा।

(5.)
* * *

बाबा साहेब का मुलमंत्र :-

* शिक्षित बनो :- शिक्षा को संसार का शक्तिशाली साधन बताया व शिक्षा ग्रहण करने हेतु प्रेरित किया

* संगठित रहो :- शक्ति को सामुहिक रूप से बढ़ाने के लिए प्रेरित किया

* संघर्ष करो :- "अधिकार" व "सम्मान" भीषण से नहीं संघर्ष से प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया।

4. (6.)
* *

बाबा साहेब की प्रमुख कृतिया :-

Who are the Shudra?

Untouchable; who are they?

emancipation of cast.

(7)

प्रासंगिकता

योगदान

बाबा साहेब ने गोलगो, शोषित, ग्रामिण, युवाओं को जो महत्वपूर्ण संदेश दिया वह एक उगातिशील राष्ट्र के लिए अनिवार्य दस्तावेज है।

तत्कालीन विभिन्न विषय पर बाबा के विचार जितने महत्वपूर्ण थे उससे कहीं अधिक आज प्रासंगिक हो गए हैं। बाबा साहेब ने "मेहर मेघा के आलोक" में हम अपने जीवन, समाज, राष्ट्र, को उगाति पर आगे बढ़ा रहे हैं।

जो अम्बेडकर जी को "सविधान के प्रासंगिक समिति" (27 अगस्त 1947) के अध्यक्ष पद का महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया था। पटेल जी को सामाजिक जीवन में समानता प्राप्त हो इसके लिए संवैधानिक व्यवस्था बाबा साहेब के प्रयासों का परिणाम है।

इस कारण बाबा साहेब को "आधुनिक युग का मनु" कहा जाता है।

वीक्ष

(8)

बाबासाहेब का सम्मान व पुरस्कार :-

(5)

* भारत रत्न सन 1990 में मरणोपरान्त बाबासाहेब को
"भारत के सर्वोच्च नागरिक" पुरस्कार दिया गया था।

* बोधिसत्व : सन 1956 में बाबासाहेब के बोधधर्म ग्रहण करने
बाद उन्हें यह उपाधि दी गई थी।

* जयभीम : डॉ. भीमराव जी के अनुयायी सम्मान उन्हें
"जय भीम" के नाम से पुकारते हैं।

॥ गुंज उठे गगन सारा

जब गुंजे भीम का मारा ॥

5.

उपसंघार :-

डॉ. भीमराव अम्बेडकर जी का सम्पूर्ण जीवन दमन, शोषण, अन्याय के विरुद्ध अनवरत क्रान्ति की शौर्य गाथाओं द्वारा भारतीय समाज के साथ-साथ सम्पूर्ण विश्व में जहाँ कहीं भी विषमवादी अदभाव व द्युमाद्युत मौजूद मौजूद हैं, ऐसे समस्त संसार को दमन, शोषण, अन्याय से मुक्त करने के लिए बाबा साहेब का "जीवन संघर्ष व दृष्टिकोण" "उज्ज्वल पथ प्रशस्त" करता है।

समतामूलक स्वतंत्रता की गरिमा से पूर्ण बन्धुता वाले राष्ट्र के निर्माण के लिए बाबा साहेब ने देश कि जनता का आह्वान किया।

बाबा साहेब के विचार व कार्य हमें सामाजिक, आर्थिक समृद्धि के तरफ लौ लें जा ही रहे हैं साथ ही मनुष्य को जागरण कर पमानवीय गरिमा की आध्यात्मिकता से सुशोभित कर रहे हैं।

(10)

अनभाल वचन

" ज्ञान प्राप्त करना
मनुष्य जीवन का
अन्तिम लक्ष्य होना चाहिये "

" धर्म मनुष्य ने लिखना है
मनुष्य धर्म से लिखनी "

" मैं जैसे धर्म में विश्वास
करता हूँ जो भारिघारा
सिधारा "

1) विशेष कथन :-

जो अम्बेडकर जी का जीवन
गंगा की तरह पवित्र
सूर्य की तरह तेजवान
हिमालय की तरह भयान
और

रुग्ण

उदभट साहस

कठोर साधना

अदमित संघर्ष

की अखण्ड प्राणवान

गाथा है

जो सत्य व मेगल है।


तथा

उनकी जीवनी

हर व्यक्ति के काम की,

सभी समाज की आवश्यकता है।

क्योंकि वह
अधुरे मोहर कर
उजाले का पथ
प्रशस्त करती है।



राजस्थान सरकार

डॉ. भीमराव अम्बेडकर फाउण्डेशन (अम्बेडकर पीठ),

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग)

164

Seat no. - 108

संविधान दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय निबंध लेखन प्रतियोगिता-2024

विषय :- "भारत के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में डॉ. भीमराव अम्बेडकर का योगदान"

दिनांक :- 07.10.2025 (समय- 2 घंटा, पूर्णांक- 100 अंक)

स्तर :- विश्वविद्यालय / महाविद्यालय

कार्यालय उपयोग हेतु	मूल्यांकन हेतु

विद्यार्थी का नाम - मुस्कान शर्मा (MUSKAN SHARMA)
पिता का नाम - सुशील शर्मा (SUSHIL SHARMA)
पता पिन कोड सहित - मोहर सिंह जीक, पुरानी आबादी, प्लॉट नं. 14/19, श्रीगंगानगर, पिन कोड - 335001
कक्षा - MSC 1st Semester Physics
महाविद्यालय का नाम - डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजकीय महाविद्यालय
जिले का नाम - श्रीगंगानगर
मोबाईल न. - 98871-06488
ई-मेल आई.डी. - muskansh280@gmail.com

विद्यार्थी के हस्ताक्षर

Muskan

वीक्षक के हस्ताक्षर

Dr. L. K. Sharma



विषयः

भारत के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में डॉ. भीमराव

अम्बेडकर का योगदान

66 जीवन लंबा नहीं महान व्यक्तित्व का होना चाहिए 99

प्रस्तावना:-

भारत को आधुनिक इतिहास में सामाजिक असमानता, जाति व्यवस्था एवं आर्थिक असमानताएं इतनी गहरी थी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी भारत को एकता तथा न्याय के सूत्र में बांधना आसान नहीं था। ऐसे समय में आजादी के बाद भी भारत में समग्र उन्नति में बाधाएं उत्पन्न थी। तब ऐसी स्थिति में—

उस युग में "डॉ. भीमराव अम्बेडकर" ने संकल्प लिया कि केवल राजनीतिक लोकतंत्र ही नहीं, भारत को सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से भी आकार करना है। उन्होंने अपना समस्त जीवन राष्ट्र के हित में समर्पित किया।

बाबासाहेब केवल संविधान निर्माता नहीं थे - बल्कि सामाजिक क्रांतिकारी, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, आर्थिक चिंतन एवं सभी पक्षों के हित सहित न्यायपूर्ण के महान प्रवक्ता भी थे।

उन्होंने कहा कि "राजनीतिक लोकतंत्र सभी सार्थक होगा, जब सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र भी सुसंगत हों"।

“ न्याय ही हम सभी के लिए, कार्य ही हम सभी के लिए ”

⇒ इसी के साथ सामाजिक तथा आर्थिक योगदानों पर निम्न चर्चा करेंगे-

[A] सामाजिक योगदान ⇒

- जातिव्यवस्था तथा अस्पृश्यता का उन्मूलन
- शिक्षा और सशक्तिकरण
- संवैधानिक तथा कानूनी सुधार
- सार्वजनिक सांस्कृतिक पुनर्रचना एवं धार्मिक परिवर्तन

[B] आर्थिक योगदान ⇒

- आर्थिक न्याय तथा सामाजिक लोकतंत्र का सिद्धांत
- भूमि विकास एवं कृषि सुधार
- सार्वजनिक क्षेत्रों में जल, विद्युत एवं औद्योगिकरण
- सार्वजनिक वित्त-कर नीति एवं मुद्रा

∴ अतः इसी आधारों पर वर्गीकृत कर इन विश्लेषणों की व्याख्या करेंगे-

[A] सामाजिक योगदान :-

i) जाति व्यवस्था एवं असमानता का उन्मूलन :-

अम्बेडकर जी की दृष्टि अनुसार आज भी भारत में समाज में धुआ-धूत तथा जाति-व्यवस्था की मनुस्मृति विषयमान है। उनका कहना कि जब तक यह सामाजिक असमानता नहीं दूटी, तब तक राजनीतिक लोकतंत्र निरर्थक रहेगा।

उदा:- ① महाड़ सत्याग्रह (1927) के अनुसार बाबासाहेब ने यह आंदोलन समाज के कृषि वर्ग को सार्वजनिक जल स्रोतों से पानी लेने व पीने का अधिकार दिलाने हेतु किया। तथा

② कालाराम मंदिर सत्याग्रह (1930) के अनुसार सभी पिछड़े वर्गों को धार्मिक समानता हेतु यह आंदोलन किया, ताकि सभी समान अधिकार से मंदिर, मस्जिद में जा सकें।

③ इसी के साथ इन्होंने "मनुस्मृति खत्म" जैसे कार्य भी किए तथा जिसमें "Annihilation of Caste" नामक मुख्य ग्रंथ भी लिखा। जिसमें

जाति-व्यवस्था एवं सामाजिक असमानता हेतु मुख्य खंडन किया गया है।

ii) शिक्षा और सशक्तीकरण :-

बाबासाहेब ने शिक्षा को "भुक्ति का मार्ग" बताया।

① सन 1924 में उन्होंने बहिष्कृत दित्कारिणी नामक सभा की स्थापना की।
जिसका नारा था -

“Education, Organise, Agitating”

② अम्बेडकर साहब ने विद्यार्थियों एवं महिलाओं हेतु द्वारवृत्ति संबंधी योजना,
हॉमल सुविधाएँ, शिक्षा संबंधी संसाधन जुटाए। तथा स्वयं विदेश
गाए, वहाँ जाकर उच्च शिक्षा हासिल की तथा स्वयं को उदाहरण के
रूप में सदाव्यक्त प्रस्तुत किया।

③ अम्बेडकर जी का कहना है कि “शिक्षा केवल शैक्षिक ज्ञान नहीं है बल्कि
सामाजिक समानता की चेतना, व्यावहारिक कौशल, भावना ज्ञान तथा
नेतृत्व की कला जीने को विकसित करती है।”

iii) संवैधानिक तथा कानूनी सुधार :-

अंजीमराव अम्बेडकर को संविधान का मुख्य निर्माता के रूप में नियुक्त किया था। तब
उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि “सामाजिक तथा समानता केवल लेख
में न हो, बल्कि लागू भी हो”।

→ इसी कारण पर कुछ कानूनी सुधार किए गए जो कुछ निम्न हैं :-

① मौलिक अधिकार - अनुच्छेद [14, 15, 16, 17] के अनुसार भेदभाव निषेध, सामाजिक असमानता तथा असमृद्धता का उन्मूलन हेतु अधिकार प्रस्तावित किए गए।

② संवैधानिक अवसर अधिकार - बाबासाहेब ने इस पर बकासत की कि सभी दलित एवं पिछड़े वर्गों (ST, SC, OBC) को समान शिक्षा तथा नौकरी अवसर तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व का अवसर प्रदान हो।

③ Poona Pact (1932) - सभी दलित वर्गों को विशेष प्रतिनिधित्व हेतु राजनीतिक स्वीकारता का अधिग्रहण दिलाया गया।

④ नीति-निर्देश :- इसके माध्यम से शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण जैसी सभी क्षेत्रों में सेवाएं हेतु अधिकारिता प्रदान की गई।

⑤ Hindu Bill code - इसके अनुसार बाबा ने कहा कि महिला अधिकारों और विवाह, विरासत में समान अधिकारों की एक विधा दी जाए, ऐसा सामान्य प्रस्ताव पारित किया गया था।

iv.] सांस्कृतिक पुनर्रचना एवं धार्मिक परिवर्तन :-

अम्बेडकर जी

का मानना था कि समाज में आर्थिक-सामाजिक असमानता को बदलना है तो सांस्कृतिक तथा धार्मिक परिवर्तन भी करने होंगे। तब -

● सन 1952 में अम्बेडकर जी ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तथा बहुत से हलियो को दीक्षा दी। समाज में उनके इस कदम को आत्मसम्मान तथा धार्मिक रूप से स्वीकारा गया।

● उनका मानना था कि "जहाँ संस्कृति तथा धर्म को स्वीकारा जाता है, वहाँ कार्य सामने बोलने से फर्क नहीं पड़ता, सर्व-कार्य मनु शुकु एवं शांति परिवर्तन से ही हो जाते हैं।"

[B] आर्थिक योगदान :-

ii.] आर्थिक न्याय तथा सामाजिक लोकतंत्र का सिद्धांत :-

अम्बेडकर

जी के अनुसार यह आर्थिक असमानताएं बड़ी बुरी हैं तो राजनीतिक लोकतंत्र अधूरा ही

उन्होंने "सामाजिक तथा आर्थिक न्याय को लोकतंत्र का मुख्य अंग माना।"

① प्रश्नकार जी केवल राजनीतिज्ञ नहीं थे - बल्कि अधिशासी तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था के संस्थापक भी थे।

② The Problem of the Rupee में उन्होंने मुद्रा-स्फीति, मुद्रा नियंत्रण तथा मुद्रा-भूख स्थिति की चुनौतियों का भी सामना किया।

③ उन्होंने अपने आर्थिक असमानता से जुड़े तीन मुख्य ग्रंथ लिखे -

i.] Administration and Finance of the East India Company.

ii.] The evolution of Provincial and Finance in British India.

iii.] ~~The Problem of the Rupee.~~

⇒ तथा इसी के साथ भारत को साकार तथा आर्थिक समान एवं व्यापक बनाने हेतु तीन सशक्त मुख्य अंग बताए -

i.] Faithfulness (वफादारी)

ii.] Wisdom (बुद्धिमत्ता)

iii.] Economy (मितलवधिता)

iii.] कृषि विकास एवं भूमि सुधार :-

समस्याएँ जैसे जमींदार तथा किसानों के मध्य दूरी, लैन-देन, समान असमानता जैसी दिक्कतें देखीं। तब उन्होंने "भूमि अधिग्रहण तथा जमींदार सुधार" करने हेतु वकालत की।

● वावामाहल ने आधुनिक कृषि तकनीकों को विकसित करने के अनुसार—
सिंचार, बाँध निर्माण तथा जल प्रबंधन हेतु जैसे सुधार कार्य किए।

● उनका कहना था कि ⁶⁶कृषि केवल उत्पादन वृद्धि नहीं बल्कि समाज को आर्थिक व्यवस्था से जोड़ने की अहम भूमिका है।⁶⁷

iii] सार्वजनिक क्षेत्रों में जल, विद्युत एवं औद्योगिकरण :-

सार्वजनिक क्षेत्रों में आर्थिक असमानताओं को सुधारना आवश्यक होता है ताकि जनता के हित में सभी कार्यों को सफलता मिले एवं नीति-निर्देश अनुसार कार्य पर बल दिया जाए।

⇒ कृषिपारी संरचना - जैसे-जल, विद्युत, परिवहन आदि में सहयोग करना ही सामाजिक हित है। तथा उनकी निजी जीवन की शरणों को बचाना ही आर्थिक सहयोग है। जब तक नहरों में पानी का बहाव रहा, तब तक आम्बेकर जी ने किसानों को सभी सुविधाओं उपलब्ध करवाई।

iv.

सार्वजनिक वित्त-कार नीति एवं मुद्रा :-

आर्बेडकर जी का कहना था कि "आर्थिक असमानता के लिए कानून बनाना आते साल है किंतु लागू करना नहीं।" इस हेतु वित्त-कार दृष्टि से राजनीतिक एवं निष्पक्ष संबंध जवाबदेही नीति स्थापित होनी ही

आर्बेडकर जी के तीन मुख्य सिद्धांत - "वफादारी, अहिंसा, मित्रता" तो आज भी प्रचलन में ही हैं। इसी के साथ मुद्रा संबंधी "मुद्रा स्थिति, मुद्रा निष्पक्षता, मुद्रा स्थिति," जैसी चुनौतियों का वित्त-कार नीति में सामना करना पड़ता है।

आर्बेडकर जी ने राजगार विनिमय के सुसंसाधन भी सुझाए, जिसमें समाज में बेरोजगारी को राजगार प्रोत्साहित हो सके तथा सामाजिक स्थिति में आर्थिक सहयोग कर सके।

उन्होंने "वित्तीय संधीयता की स्थापना की तथा संघ महत्व समझाया ताकि राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता मिल सके।" राज्यों को अति आर्थिक लाभ की प्राप्ति हो सके।

⇒ अतः इसी आधार आर्थिक चुनौतियों का सामना वित्त-कार नीति में अधिक है, क्योंकि यहाँ हर सामान पर कर वसूल एवं अधिकार होता है।

[C] आलोचनाएँ, चुनौतियाँ एवं सीमाएँ :-

[D]

- अम्बेडकर जी के सभी सिद्धांतों के अनुसार उन पर आर्थिक आलोचना है कि उनके सभी कार्य व हित राज्यकेहित थे, उनका निजी क्षेत्रों में कुछ खास महत्व नहीं था।
- ग्रामी सुधार योजनाएँ भी कई राज्यों में झड़ूरी रह गई, क्योंकि राजनीतिक मिश्रण एवं आर्थिक सहयोग की कमी रही।
- सामाजिक असमानता में घीमी गति थी, क्योंकि समाज में सभी के प्रति अकस्मात अनुसूचित बहलाव एक चुनौती थी।
- अम्बेडकर ने वैश्विक साम्राज्याओं, वैश्वीकरण, सूचना प्रौद्योगिकीकरण आदि में बहुत सी राजनीतिकता की परंतु उनके परिणाम अनुकूल नहीं थे।
- नीति-निर्देश क्रियान्वयन नीति तथा जवाबदेही घीमी रही, जिसके कारण राजनीतिक लोकता का विकास प्रभावहीन होता गया।

⇒ अम्बेडकर जी का मानना था कि वह सभी कार्य देश के हित में कर रहे हैं, परंतु खामिया भी हैं, जो उन्हें अविद्या में चेतना हेतु प्रस्तुत भी की !!

[D] समकालीन प्रासंगिकता :-

- आज भी वर्तमान में जातिव्यवस्था, आर्थिक असमानता तथा अपृथक्ता विद्यमान हैं क्योंकि हमारा समाज परिवर्तन को स्वीकार नहीं करना चाहता। इस पर अम्बेडकर ने जो कथ वच हमें पाठ दिलाता है कि - हमें समानता और न्याय को अपनाना होगा।
- भारत में ⁶⁶ सामाजिक लोकतंत्र में यह चेतना है कि हमें केवल राजनीतिक लोकतंत्र से नहीं बल्कि सामाजिक व आर्थिक समानता से न्यायपूर्ण कार्य प्रस्तुत करने होंगे।
- "अधुनिकारी संरचना" - जल, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण जैसे योजनाएँ सर्वत्र विद्यमान रहे। तथा ⁶⁶ अम्बेडकर के अनुसार समान, निवेश, समावेशी विकास हो।
- कुछ प्रमुख आर्थिक संकट जैसे - रोजगार संकट, जल संकट, भूमि संकट, आत्मसम्मान, निवेश की आवश्यकता जैसे संकटों को दूर करना आवश्यक है।
⇒ कल्याणकारी योजनाएँ, सामाजिक कार्यक्रम का होना अम्बेडकर के द्वारा संचालित किया जाना चाहिए।

11

[E] अपसंहार तथा निष्कर्ष :-

डा. श्रीमशव अम्बेडकर
पा बाबासाहेब ने भारत में राजनीतिक लोकतंत्र के साथ सामाजिक एवं आर्थिक समानता तथा न्याय की पुनः नीति स्थापित की। उन्होंने अपने हर संभव दृष्टि के अनुसार सभी कार्य हर क्षेत्र में किए। उन्होंने अपना जीवन इन्हीं सामाजिक कार्यों में राष्ट्र के प्रति समर्पित किया।

66
समानता का भाव उठे,

जाति के जंजीर घर-बंधन से छूटे!

शिक्षा की ज्वाला जब हर घर फैल जाए,

तब अम्बेडकर का सपना, वहीं साकार हो जाए!!

⇒ इन्हीं कुछ पंक्तियों के आधार पर हैं कि आर्थिक समानता केवल जीडीपी बढ़ाने से नहीं बल्कि समान समर्थता एवं न्यायपूर्ण से विकसित की जानी चाहिए। जिससे देश का सही मापने में संभव विकास हो सके।

13
⇒ अतः निष्कर्ष तौर पर है कि शिक्षा का प्रसार सभी तरफ होना चाहिए। केवल हमें कानूनी तौर पर कानून को लैबो में न रखकर हमीकत में लागू करने चाहिए।

① हमें समझना होगा कि कानून हमारे लिए ही है। सभी नीतियों का पालन हमें करना होगा। क्योंकि समय-समय पर अधिकारों, नियमों में परिवर्तन आवश्यक होता है।

★ ★ ★
② "भारत को 'समान, समबोध तथा न्यायोचित' भारत रचने की कल्पना डॉ० भीमराव अम्बेडकर ने ही स्थापित किया था, जिसके तहत भारत को साकार व एकता में बंध के तीन मुख्य तत्व थे -

समता
आजादी
बंधुत्व

"तब-तक चैन नहीं हमें, जब तक हर बर्या न पड़े,

हाथों में समान अधिकार एवं मन में उत्साह बड़े!

आओ सब मिलकर ये भैरभात हटाएं-मिटायें,

हम भारतवासी एकता के बंधन से जुड़ जायें!!

* समाप्त *

* धन्यवाद !! *